E-Mail

संख्या–2689/26–3–2010–4(358)/2007

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण/ अल्प संख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांकः 11 अक्टूबर, 2010

विषयः–वर्ष 2010–11 के शैक्षिक सत्र हेतु दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण को पारदर्शी एवं सुगम बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2030/26–3–2009–4(358)/2007, दिनांक 23 सितम्बर, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत यह नीति प्रचलित है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ समाज कल्याण विभाग/अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थाओं/ संस्थानों/विद्यालयों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए शत–प्रतिशत शुल्क प्रतिपूर्ति तथा अन्य श्रेणी के छात्रों के मामलों में शासकीय दर पर शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जाती है तथा सम्प्रति सभी श्रेणी के छात्र–छात्राओं के मामले में संस्थाओं/ संस्थानों/विद्यालयों के प्रबंधतंत्रों को ही शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संपूर्ण शुल्क राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करती है, चाहे उसका प्रवेश किसी राजकीय संस्था में हो या निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित संस्था में, जबकि अन्य श्रेणी (पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक व गरीब सामान्य) के छात्र–छात्राओं हेतु राज्य सरकार केवल आंशिक रूप से अर्थात शासकीय दर पर ही शुल्क प्रतिपूर्ति करती है।

शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को छोड़कर शेष सभी श्रेणी के छात्र–छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति की भांति संबंधित छात्र–छात्राओं के बैंक खाते में सीधे की जाय। इस वर्तमान सत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को छोड़कर अन्य श्रेणी के जिन छात्र–छात्राओं द्वारा संबंधित संस्था को भुगतान नहीं किया गया है, वह अपने स्तर से संबंधित प्रबंधतंत्र को फीस की धनराशि (यदि पूर्ण फीस जमा न की हो) जमा कर देंगे ताकि शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके खाते में भेजी जा सके।

जहॉ तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं का संबंध है, वर्तमान में प्रचलित नीति का कियान्वयन अत्यंत कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय तथा इस हेतु निम्नलिखित प्रकियात्मक परिवर्तन भी किया जाता है:–

(अ) विद्यालय/संस्थाओं के प्रबंधतंत्र से इस आशय का घोषणा–पत्र रू 10/– के नोटरी स्टैम्प पर प्राप्त किया जाय कि उनके द्वारा किसी भी छात्र से कोई फीस नहीं जमा कराई गई है जिसका दावा राज्य सरकार से मांगा जा रहा है।

(ब) छात्र–छात्राओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र भी प्राप्त किया जाय कि उनके द्वारा कोई फीस संस्था/प्रबंधन को नहीं दी गई है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के संबंध मे संस्थाओं से क्लेम प्राप्त होने पर 30 दिन के अंदर शुल्क प्रतिपूर्ति सीधे संस्थाओं को भुगतान संबंधित विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय ।

शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–ई–3–1820/दस–2010, दिनांकः 07 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त

संख्या–2689(1)/26–3–2010–4(358)/2007 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति समय से/यथाशीघ्र सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक धनराशि संबंधित विभाग के निवर्तन पर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाय।
2– कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3– कुलपति,प्राविधिकविश्वविद्यालय(यू0पी0टी0यू0),उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5– सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमला गोस्वामी)
अनु सचिव।

S 0-G0